Central sector scheme for promotion of National Agricultural Market

*63. SHRI RAM KUMAR KASHYAP: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to formulate a Central Law for integrating agricultural markets at national level for the benefit of farmers in terms of better price discovery and also for the benefit of consumers in terms of reduction in number of intermediaries in supply chain, if so, details thereof; and

(b) whether a proposal to formulate a Central Sector Scheme for promotion of National Agricultural Market through Agri-Tech Infrastructure Fund (ATIF) was sent to the Cabinet Committee on Economic Affairs on 24 June, 2015 for approval, if so, the present status thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. A proposal to formulate a Central Sector Scheme for promotion of National Agriculture Market (NAM) through Agri-Tech Infrastructure Fund (ATIF) was sent to the Cabinet Committee on Economic Affairs on 24th June, 2015 and its Supplementary on 30th June, 2015 for approval and the same has been approved on 01st July, 2015. In accordance with the approved proposal, the National Agriculture Market has been initiated as a common online trading portal and proposals of 12 States for integration of their mandis with the online portal, granted in principle approval and grants released to 6 States. The NAM pilot was launched on 14.04.2016 in 21 mandis of 8 States, covering 25 commodities.

MR. CHAIRMAN: Question No. 63. Let the answer be given.

श्री राम कुमार कश्यपः माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि आपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदित प्रस्ताव, दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को common online trading portal के रूप में राष्ट्रीय कृषि मंडी की शुरूआत की गई, जिसके अंतर्गत 8 राज्यों की मंडियों को E-market platform के pilot launch के लिए चुना गया। इसमें हरियाणा की दो मंडियों करनाल व ऐलाबाद को भी चुना गया। इस योजना के अंतर्गत करनाल की मंडी में अभी तक 300 क्विंटल गेहूं अनाज आया है, जबकि करनाल के आस-पास के ज़िलों में गेहूं की बहुत ही बंपर फसल हुई है। इसमें न तो किसानों ने और न ही डीलरों ने कोई रुचि दिखाई है। मंत्री महोदय जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार आगे क्या प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है?

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी यह एक pilot प्रयोग है और 8 राज्यों की 21 मंडियों में शुरू किया गया है। यह निश्चित रूप से पायलट प्रयोग इसलिए है, क्योंकि इसमें जो विसंगतियां दिखाई दी जाएंगी, उनको ठीक किया जाएगा।

श्री राम कुमार कश्यपः सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि common online trading portal के रूप में राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना शुरू होने पर कच्चे आढ़तियों की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि अब किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा जाएगा, इसलिए अब उन्हें लगने लगा है कि उनके पैसे की रिकवरी किसानों से नहीं हो पाएगी और हमें किसानों की यह चिंता लगी है कि उन्हें अब आढ़तियों से पैसे नहीं मिलेंगे। मंत्री महोदय जी, इस स्थिति में किसानों व आढ़तियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, वर्ष 2003 का कहूं तो यह जो "मंडी कानून अधिनियम" है, इसे राज्य बनाते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि इसका सुधार कैसे हो? क्योंकि पहले से ही राज्य में मंडियों के अंदर जो कानून हैं, उसमें किसी भी मंडी में जब किसान जाता है, तो उसमें आठ-दस licensee हैं, वे जो भी कीमत बताते हैं, उसी भाव पर उसे बेचना होता है। वह अपना सामान लौटा कर नहीं ले जा सकता है। उसको पता नहीं है कि उसी के राज्य में दूसरी मार्केट में उसकी क्या कीमत है। फिर जब किसान सामान ले जाता है, तो जो लाइसेंसी है, वह उसका सामान देख कर कहता है कि इसकी क्वालिटी घटिया है। मतलब यह है कि जो लाइसेंसी है, आढ़तिया है, वही दाम तय करता है और वही तय करता है कि किसान का जो अनाज है, उसकी क्वालिटी क्या है। इसलिए 2003 में सरकार ने कानून में बदलाव हो, इसके लिए राज्यों के मंत्रियों की एक कमिटी बनाई गई थी। इस सरकार के आने के बाद श्री गुलाटी की अध्यक्षता में बनी कमिटी की जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर कमिटी बना दी गई है। अभी उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन राज्यों से तीन कानूनों में परिवर्तन करने के लिए कहा गया है। एक तो यह कि अगर वहां कोई एक मंडी का लाइसेंस लेता है, तो वह सारी मंडियों में खरीददारी कर सकता है, फिर उसके लिए e-trading platform बनाइए और इस पर levy भी एक ही जगह लगे, क्योंकि अंततः इसका बोझ उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है। 14 राज्यों ने इन तीनों कानूनों में बदलाव किया है। मुझे खुशी हो रही है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। किसान जब मंडी में जाएगा, तो वह e-trading platform पर देख पाएगा कि उसके राज्य में उसके सामान की कीमत क्या है। हमारी योजना है कि हम देश की 585 मंडियों को जोड़ें, ताकि वह देख सके 585 मंत्रियों में उसके सामान की क्या कीमत है। उसकी क्वालिटी क्या है, वह आढ़तिया तय नहीं करे, बल्कि वह ऐसे तय की जाए कि इसके लिए एक लेबोरेटरी बने। इसके लिए हम राज्यों को पैसा दे रहे हैं और हम उनको एक साल के लिए IT engineers दे रहे हैं। हमने इसके लिए एक strategic partner तय किया है। यह शुद्ध रूप से किसानों के लाभ के लिए है। इससे आढ़तियों का थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे किसानों को लाभ होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री भूपिंदर सिंहः चेयरमैन सर, आज किसानों के सामान की मार्केटिंग की बात हो रही है, लेकिन मुख्य सवाल तो यह है कि इसके ऊपर एक integrated Law, Central Law बनना चाहिए। लॉ

तो नहीं बना, सरकार ने कहा कि no, sorry. लॉ नहीं बन पाया, लेकिन आज एक स्कीम बनाई गई है कि इसको कैसे regulate करें, ताकि सारे देश में किसानों को जो Minimum Support Price है, वह मंडियों में उनको मिल पाए। अगर उनको वह नहीं मिलता है, तो उसके लिए इस स्कीम में क्या प्रोविज़न रखा गया है? सर, 8 स्टेट्स में pilot project launch किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से 8 स्टेट्स हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि उनमें ओडिशा है या नहीं?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, यह कानून भारत सरकार नहीं बना सकती है। मार्केटिंग के जो कानून हैं, उन्हें राज्य सरकार बनाती है। अभी तक हमारे पास राज्यों से जो प्रस्ताव आए हैं, मैं इनको पूरा विवरण भी दे सकता हूं। मेरे पास इसकी सूची है, मैं बता रहा हूं कि इसमें अभी तक आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, कर्णाटक, राजस्थान, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 15 ऐसे राज्य हैं। अभी 8 राज्यों में ही pilot project शुरू किया गया है, लेकिन मेरे पास 15 राज्यों से 265 प्रस्ताव आए हैं। सिद्धांत रूप से ओडिशा भी तैयार हो गया है। सिर्फ केरल और बिहार में मंडी कानून नहीं हैं और पंजाब ने इस पर सहमति नहीं दी है, नहीं तो बाकी सभी राज्यों ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राज्यों में कानून बदल रहे हैं और 15 राज्यों ने कानून बदल दिए हैं। उनके प्रस्ताव आ गए हैं। बाकी भी इस काम में लगे हुए हैं, ओडिशा भी इसमें लगा हुआ है और ओडिशा ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए National Agriculture Market की स्कीम ला रही है। इसमें देशी मंडियों, जिला स्तर पर मंडियों तथा Agriculture Produce Market Committee का क्या योगदान होगा और APMC में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? किसान अनाज का भंडारण नहीं कर पाता है और production के बाद उसे तुरंत बेचना पड़ता है, जिससे middlemen ज्यादा कमाते हैं, दलालों का फायदा होता है और मंडी तक पहुंचने तथा मंडी के आसपास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उसका नुकसान होता है। कृपया आप यह बताएं कि आप वहां पर digitalization करने वाले हैं या नहीं? आप किस प्रकार से उनको प्रोटेक्शन देंगे? आप जानते हैं कि विदर्भ, महाराष्ट्र के किसान सूखा और बाकी आपदाओं से किस तरह से परेशान हैं।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, कानून राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकारों को हमने तीन सुझाव दिए थे, जिसके अनुसार 15 राज्यों ने अपने कानूनों में परिवर्तन कर लिया है और इन तीनों सुझावों को मान लिया है। इस आधार पर राज्यों ने हमें प्रस्ताव भेजे हैं और प्रस्ताव के साथ मंडियों की सूची भी भेजी है। हम लोग इसके लिए राज्यों को आर्थिक सहायता और आईटी इंजीनियर्स दे रहे हैं। हमने बदलाव के लिए उन्हें कौन-कौन से तीन सुझाव दिए थे, इस पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सर, मैं digitalization के बारे में पूछ रहा हूं, जिससे किसानों को मंडियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके। अभी तक digitalization का काम कितने राज्यों ने किया है?

श्री सभापतिः आप इन्हें अपनी लिस्ट पढ़ कर सुना दीजिए।

श्री राधा मोहन सिंहः मैंने अभी 15 राज्यों का नाम पढ़कर सुनाए थे।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः क्या ये वे राज्य हैं, जहां digitalization का काम हो गया है?

श्री राधा मोहन सिंहः मैं फिर बताना चाहता हूं कि अभी तक 8 राज्यों की 21 मंडियों में यह काम हुआ है।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः आदरणीय महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि अगर एक बार मंडियों का digitalization हो जाता है, तो इससे किसानों को उसका बहुत लाभ मिल सकता है। इससे उनको बीजों के रेट्स पता चल सकते हैं।

श्री राधा मोहन सिंहः मैं आपको बता रहा हूं, 15 राज्यों से 265 मंडियों के लिए digitalization के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से अभी तक 8 राज्यों की 21 मंडियों में यह काम पूरा हो गया है। वहां पर एक पायलेट प्रयोग शुरू हो गया है।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः क्या वहां पर digitalization का काम पूरा हो चुका है?

श्री राधा मोहन सिंहः वहां digitalization हो चुका है, लैब बन गए हैं और 21 मंडियों को एक e-trading platform मिल गया है।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सर, अभी तक महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

श्री सभापतिः देखिए, यह डिस्कशन नहीं है।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः लेकिन सर, अभी तक विदर्भ, महाराष्ट्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री राधा मोहन सिंहः यदि आप कहेंगे, तो हम दोबारा आपको राज्यों के नाम बता सकते हैं, जहां ई-व्यापार की अनुमति देने के लिए कानून में परिवर्तन कर लिया गया है। ये राज्य हैं - आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्णाटक। कर्णाटक इस मामले में अग्रगण्य है और वह पहले से ही इस काम को कर रहा है। फिर राजस्थान, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः क्या विदर्भ में इस काम को किया गया है? ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः यदि विदर्भ किसी राज्य में आता है, तो मैं आपको राज्यों के नाम ही पढ़ कर सुना रहा हूं।

श्री सभापतिः प्लीज़, आप बोलते जाइए।

श्री राधा मोहन सिंहः इन राज्यों ने अपने नियमों में परिवर्तन कर लिया है और हम उनको सहायता दे रहे हैं। वे लोग अपनी मार्केट को अपग्रेड कर रहे हैं। 21 मार्केट अपग्रेड हो चुकी हैं और हमने उनको जोड़ने का काम 14 अप्रैल को शुरू किया है।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा: यानी महाराष्ट्र और विदर्भ में अभी तक यह काम नहीं हुआ है?

MR. CHAIRMAN: No further discussion on this. You are taking too much time. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Pavan Kumar Varma. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: Sir, the question pertains to benefit of farmers in terms of better price discovery. I would like to ask the hon. Minister what happened to the promise of the Minimum Support Price, fifty per cent over cost of production, which was made by this Government and on which it has completely ...*(Interruptions)*... What has happened to the promise of the Minimum Support Price in terms of giving farmers a better benefit of price discovery?

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, समर्थन मूल्य, जिसमें 50 फीसदी की वृद्धि हुई है और लागत मूल्य, ये दोनों दो अलग विषय हैं। मैंने इससे पहले विस्तार से समर्थन मूल्य के बारे में बताया है। किसान की उपज की लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो और उसे अच्छा मूल्य मिले, इसकी चर्चा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में की थी।

मार्केटिंग को छोड़कर बाकी की सब बातों की मैंने चर्चा कर दी थी। मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी इसीलिए बनाई जा रही है, जिससे किसान को अच्छा मूल्य मिले। समर्थन मूल्य क्या है, किसान का मुनाफा डेढ़ गुना से दोगुना हो सके, इसके लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में पहले सवाल के जवाब में हमने विस्तार से बता दिया है।

श्री सभापति: उनका जो सवाल था, आप उसका जवाब दीजिए।

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: My question is very simple. There was a promise made of fifty per cent of profit over cost of production. In the Supreme Court, you have submitted an affidavit. ...*(Interruptions)*... on this promise.

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, हमारी सरकार को बने हुए अभी दो वर्ष हुए हैं। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि किसान की जो लागत है, उसको डेढ़ गुना से दोगुना मुनाफा मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... इसके लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री के.सी. त्यागी: मिला है या नहीं मिला है? ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंह: आप मेरी बात तो सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, मैंने इसलिए बताया कि उत्पादन तब बढ़ेगा जब हर खेत को पानी मिलेगा। यह योजना हमने देश में प्रारंभ कर दी है। आमदनी ज्यादा तब होगी, जब उसकी लागत कम होगी। ...(**व्यवधान**)... इसीलिए हमने Soil Health Card देने की व्यवस्था शुरू की है, जैविक खेती की व्यवस्था शुरू की है और राष्ट्रीय कृषि मंडी बाजार बन रहे हैं, जहां उसको अधिक दाम मिले। ...(**व्यवधान**)... इस प्रकार से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस सरकार ने प्रयत्न शुरू कर दिया है।

श्री सभापतिः उन्होंने जो सवाल पूछा है, आप बस उसका जवाब दे दीजिए और कुछ मत बताइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, उनका सवाल यह है कि हमारी सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। ...(**व्यवधान**)...

DR. K.C. TYAGI: He is misleading the House.

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... त्यागी जी, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... त्यागी जी, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

DR. K.C. TYAG: He is misleading the House.

MR. CHAIRMAN: This is not your question. *...(Interruptions)...* निषाद जी, आप भी बैठ जाइए।

श्री राधा मोहन सिंहः सर, माननीय सदस्य अपना सवाल फिर से पूछ लें।

MR. CHAIRMAN: What was your specific question?

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: Sir, my specific question is this. In the question, it is said, ".....benefit of farmers in terms of better price discovery..." In this context, this Government had made a promise, that the Minimum Support Price would be 50 per cent over the cost of production. This promise has been reneged upon and an affidavit has been submitted to the Supreme Court that they can't fulfil it. I want to know why they have gone back from this promise.

MR. CHAIRMAN: Okay. All right.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मेरी सरकार ने चुनाव के पहले और आज भी कहा है कि किसान की जो लागत है, उससे डेढ़ गुना, दोगुना उसकी आमदनी होनी चाहिए। यह हमने कहा था। ...(**व्यवधान**)...

श्री राज बब्बरः आप मेनिफेस्टो में देखिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RADHA MOHAN SINGH: No, no. *...(Interruptions)...* समर्थन मूल्य नहीं ...(**व्यवधान**)... आप हमारा घोषणापत्र पढ़िए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, ...(**व्यवधान**)... यह बीजेपी के इलेक्शन मेनिफेस्टो में है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः लागत का डेढ़ गुना ...(**व्यवधान**)... लागत से आमदनी डेढ़ गुना बढ़े। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... यह आपका सवाल नहीं है। ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, किसान की जो लागत है, उसका डेढ़ गुना मुनाफा किसान को मिले और इसके लिए हमने योजनाएं चलाई हैं। ...(**व्यवधान**)... हमने योजनाएं चलाई हैं कि कम लागत, उत्पादन ज्यादा, अच्छा मार्केट और समर्थन मूल्य भी समय-समय पर बढ़ाना। ...(**व्यवधान**)...

देश में सूखे की स्थिति

***64. श्री नरेश अग्रवाल** : क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कई इलाके इस समय भयंकर सूखे की चपेट में हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक देश के किन इलाकों को सूखाग्रस्त चिन्हित किया गया है और वहां पानी की सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जैसे इलाकों की स्थिति क्या है?

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 2015-16 के दौरान कम मॉनसून के कारण कर्नाटक (खरीफ एवं रबी दोनों के लिए), छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान सरकारों ने अपने राज्यों के कुछ भागों में सूखे की घोषणा करने के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सूखा प्रभावित राज्यों को एनडीआरएफ से वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित निधियों के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रुपये करोड़ में)

1.	कर्नाटक (खरीफ और रबी दोनों के लिए)	1540.20
		723.23
2.	छत्तीसगढ़	1276.25
3.	मध्य प्रदेश	2032.68
4.	महाराष्ट्र	3049.36
5.	ओडिशा	815.00
6.	तेलंगाना	791.21
7.	उत्तर प्रदेश	1304.52
8.	आंध्र प्रदेश	433.77
9.	झारखंड	336.94
10.	राजस्थान	1193.41
	कुल	13496.57